न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/22 दायरा दिनांक : 17.01.2023

उनवान

1. बापू आयु साल पुत्र पूरालाल, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
2. रतनबाई पुत्री पूरा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
3. नन्दीबाई पुत्री पूरा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
4. सजनबाई बेवा रामा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
5. अमरलाल पुत्र रामा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
6. रेखा पुत्री रामा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
7. सूरज आयु 8 साल नाबालिग पुत्र रामा ।
8. जगदीश आयु 11 साल नाबालिग पुत्र रामा ।

जरिये संरक्षक वली माता सजनबाई बेवा रामा जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1 मांगू आत्मज कालू, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

1/1 सुन्दरबाई पत्नी मांगू, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज०

1/2 मुन्नाबाई पुत्री मांगू पत्नी मांगीलाल, जाति बागरी, निवासी डोडखेड़ी (सुजानपुर) व्हाया डग, तहसील डग, जिला झालावाड़ राज०

1/3 धापूबाई पुत्री मांगू पत्नी देवीलाल, जाति बागरी, निवासी सुवा गॉव, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा म०प्र०

1/4 भूलीबाई पुत्री मांगू पत्नी कन्हैयालाल, जाति बागरी, निवासी बागरी मौहल्ला डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज०

1/5 श्यामूबाई पुत्री मांगू पत्नी रामलाल, जाति बागरी, निवासी रामेनगर, तहसील बडौद, जिला आगर मालवा, म०प्र०

1/6 अकनबाई पुत्री मांगू पत्नी देवीसिंह, जाति बागरी ,निवासी चमार बलडी, जिला आगर मालवा म०प्र०

1/7 उमराव पुत्र मांगू, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज० मृतक

1/7/1 दशाबाई पत्नी उमराव, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज०

1/7/2 सपना आयु 7 साल नाबालिग पुत्री उमराव जरिये संरक्षक वली माता दशाबाई पत्नी उमराव, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड़ राज०

1/7/3 पीरूलाल आयु 5 साल नाबालिग पुत्र उमराव जरिये संरक्षक वली माता दशाबाई पत्नी उमराव, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड़ राज०

2 रोडूलाल पुत्र धन्ना, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

3 कालीबाई पुत्री धन्ना, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

4 रेशमबाई पुत्री धन्ना, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

5 उदा पुत्र कालू, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0 .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00085 दायरा दिनांक : 17.05.2019

उनवान

1. बापू आयु साल पुत्र पूरालाल, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
2. रतनबाई पुत्री पूरा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
3. नन्दीबाई पुत्री पूरा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
4. सजनबाई बेवा रामा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
5. अमरलाल पुत्र रामा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6. रेखा पुत्री रामा, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०
7. सूरज आयु 8 साल नाबालिग पुत्र रामा ।
8. जगदीश आयु 11 साल नाबालिग पुत्र रामा ।

जरिये संरक्षक वली माता सजनबाई बेवा रामा जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार जिला झालावाड .... अपीलांट

बनाम

1 मांगू आत्मज कालू, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

1/1 सुन्दरबाई पत्नी मांगू, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज०

1/2 मुन्नाबाई पुत्री मांगू पत्नी मांगीलाल, जाति बागरी, निवासी डोडखेड़ी (सुजानपुर) व्हाया डग, तहसील डग, जिला झालावाड़ राज०

1/3 धापूबाई पुत्री मांगू पत्नी देवीलाल, जाति बागरी, निवासी सुवा गॉव, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा म०प्र०

1/4 भूलीबाई पुत्री मांगू पत्नी कन्हैयालाल, जाति बागरी, निवासी-बागरी मौहल्ला डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज०

1/5 श्यामूबाई पुत्री मांगू पत्नी रामलाल, जाति बागरी, निवासी रामनगर, तहसील बडौद, जिला आगर मालवा म०प्र०

1/6 अकनबाई पुत्री मांगू पत्नी देवीसिंह, जाति बागरी ,निवासी चमार बलडी, जिला आगर मालवा म०प्र०

1/7 उमराव पुत्र मांगू, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज० मृतक

1/7/1 दशाबाई पत्नी उमराव, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज०

1/7/2 सपना आयु 7 साल नाबालिग पुत्री उमराव जरिये संरक्षक वली माता दशाबाई पत्नी उमराव, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड़ राज०

1/7/3 पीरूलाल आयु 5 साल नाबालिग पुत्र उमराव जरिये संरक्षक वली माता दशाबाई पत्नी उमराव, जाति बागरी, निवासी ओखजी महाराज के पीछे डग, तहसील डग, जिला झालावाड़ राज०

2 रोडूलाल पुत्र धन्ना, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

3 कालीबाई पुत्री धन्ना, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

4 रेशमबाई पुत्री धन्ना, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ राज०

5 उदा पुत्र कालू, जाति बागरी, निवासी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज०

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 31.01.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /दावा/2014 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 25.06.2015 तथा अंतिम डिकी दिनांक 27.02.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट मांगू ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम डग पटवार क्षेत्र डग, तहसील गंगधार जमाबंदी संख्या 1293 में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नम्बर 87 रकबा 3.13 बीघा, खसरा नम्बर 1066 रकबा 2.14 बीघा, खसरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 1067 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 1148 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नम्बर 1203 रकबा 2.18 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 13.07 बीघा आराजी स्थित है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी ग्राम डग की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 1293 किता 6 रकबा 13.07 बीघा भूमि का बंटवारा उनके कब्जे अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार गंगधार से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत मंगवाए जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.02.2017 से वादग्रस्त आराजी ग्राम डग की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 1293 किता 6 रकबा 13.07 बीघा भूमि का बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का से प्राप्त हुआ है। जिसे स्वीकार किया गया है। तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का को मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वादी व प्रतिवादीगण के खाते पृथक पृथक किया जाने के आदेश दिये गये, जिससे अप्रसन्न होकर यह दोनों अपीले पेश की गई।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

अपील संख्या 2023/22 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध हैं, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में अपीलान्ट को विधिवत तरीके से तामील नहीं हुयी तथा प्रतिवादी नं. 7 व 9 की तामील में तारीख पेशी दिनांक 11.05.2015 नियत थी, किन्तु दिनांक 11.05.2015 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी तथा दिनांक 25.06.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत डग में निर्णय पारित कर दिया तथा प्रारम्भिक डिक्री भी जारी नहीं की गयी। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। दिनांक 15.04.2019 को पटवारी साहब फाईनल डिक्री की पालना करवाने के लिए मौके पर आये तो अपीलान्ट ने पटवारी साहब से जानकारी प्राप्त की एवं पटवारी साहब को फाईनल डिक्री की पालना से रोका तथा उसी दिन अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो वकील साहब ने अदालत में जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला की दिनांक 25.06.2015 को राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत डग में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया है। जिस कारण दिनांक 15.04.2019 को नकल दरखास्त दी गयी तथा नकल प्राप्त की गयी तथा रूपयों का इन्तजाम कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश की जा रही है। जो अन्दर मियाद मानी जावे। प्रार्थना पत्र मियाद कानून पृथक से मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। एवं मातहत न्यायालय को प्रतिवादीगण की तलबी करवाकर जवाब दावा लेकर, तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर निर्णय किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील संख्या 2019/00085 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध हैं, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को नहीं सुना बिना अपीलान्ट को सुने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.02.2017 को पेश करना बताकर दिनांक 27.02.2017 को फाईनल डिक्री पारित कर दी, जो निरस्त होने योग्य है। दिनांक 25.06.2015 के बाद पत्रावली में कोई तारीख पेशी नहीं दी गयी तथा दिनांक 27.12.2016 को वादी एडवोकेट ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नं० 2 कैलाश पुत्र रामा का नाम गलत दर्ज करना बता कर अमरलाल पुत्र रामा दर्ज कराने के हेतु पेश किया, जिसे उसी दिन स्वीकार कर लिया। दिनांक 27.02.2017 की आदेशिका में बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.02.2017 को पेश करना बताकर दिनांक 27.02.2017 को फाईनल डिक्री पारित कर दी। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय की फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने जो फाईनल डिक्री जारी की है, वह मनमानी है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री अपास्त की जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.04.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीपि रामचन्द्र मीणा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी बाबत कायम मुकामान बनाये जाने का पेश किया जिसे न्यायहित में न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 19.01.2024 को स्वीकार किया गया।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

दोनों अपीलों में अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपील संख्या 2023/22 प्रारम्भिक डिक्री में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में अपीलांट/प्रतिवादी नं. 7 व 9 को विधिवत तरीके से नोटिस सम्मन तामील नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.03.2015 के अनुसार प्रतिवादी 1 लगायत 6 व 8 को सूचना हो चुकी है, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 व 8 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी नं. 7 व 9 से 12 को सूचना होना नहीं पाया जाता। वकील वादी प्रतिवादी नं. 7 व 9 से 12 की तलवी का तलबाना दाखिल करें। आदेशिका दिनांक 21.04.2015 के अनुसार गत आदेश की पालना में तलबाना दाखिल नहीं किया है अब दाखिल करें, का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगे हुए सम्मनों का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रतिवादी नं. 7 व 9 से 11 की नोटिस सम्मन तामील सी. पी. सी. के नियमों के अनुसार होना नहीं पाया जाता है। आदेशिका दिनांक 21.04.2015 को पत्रावली तलवी में चल रही थी जिसमें आगामी तारीख पेशी 11.05.2015 नियत की गई थी इसके बाद पत्रावली सीधे ही राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत डग में दिनांक 25.06.2015 को पेश हुई और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि उभयपक्षों को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत डग में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे, जो उनके द्वारा जारी नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में हम अपील संख्या 2023/22 को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अपील संख्या 2019/00085 फाईनल डिक्री में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने विभाजन स्कीम पर फरीकेन को सुने बिना ही बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.02.2017 को पेश कर दिनांक 27.02.2017 को फाईनल डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पटवारी डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड के बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज सलंग्न नहीं है जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि तहसीलदार गंगधार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्षों को कोई सूचना दी हो। उभयपक्षों की उपस्थिति मौके पर नहीं थी, उभयपक्षों को सूचना दिये जाने का भी विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है, उभयपक्षों के हस्ताक्षर भी विभाजन प्रस्ताव पर नहीं है और ना ही यह अंकन किया है कि उन्होंने हस्ताक्षर करने से इंकार किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसके अतिरिक्त नक्शा ट्रेस और विभाजन प्रस्ताव पर भी तहसीलदार गंगधार के हस्ताक्षर नहीं है जो कि सिद्ध करता है कि नक्शा ट्रेस मौके पर नहीं बनाया गया। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 में अंकित प्रकिया की पालना तहसीलदार गंगधार द्वारा नहीं की गई है। अतः उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीणा)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2023/22 एवं 2019/00085 अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2015 तथा निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 27.02.2017 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सी. पी. सी के नियम के अनुसार प्रोपर रूप से सम्मन तामील कर, सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए उभयपक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/01/2024

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा